न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : **103/18 (प्रा0पत्र)**

GCMS No. : 2018/00357

अनवान्

1. श्री मांगीलाल पिता रतना खटीक निवासी मेडता तहसील मावली।
2. श्री राजु पिता रतना खटीक निवासी मेडता तहसील मावली।
3. श्रीमती कैलाश देवी पुत्री रतना खटीक निवासी मेडता तहसील मावली।

..............प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य जरिये जिला कलेक्टर उदयपुर।
2. राज्य जरिये तहसीलदार साहब मावली तहसील मावली।
3. नगर विकास प्रन्यास जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास उदयपुर।

...................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कपिल सिंह राव, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री राजपेरोकार मावली, विपक्षी संख्या 1, 2
3. श्री जयेश कुमार जैन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक :– 23.05.2025

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण गांव मेडता तहसील मावली के निवासी होकर इनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा बजाजनगर, नाहरमगरा तहसील मावली की आराजी संख्या 3662/1692 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा हैं।
2. यह कि उक्त भूमि प्रार्थीगण के आधिपत्य की होकर उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का आधिपत्य विगत 50 वर्षो से भी अधिक समय से निर्बाध रूप से निरन्तर चला आ रहा है प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से उक्त भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है पूर्व में उक्त भूमि कृषि योग्य नहीं थी जिसे प्रार्थीगण ने भारी मेहनत मजदूरी कर काश्त योग्य बनाया है व अब उक्त भूमि में फसले प्रार्थीगण द्वारा बराबर पैदा की जा रही है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त आराजी संख्या 1692 के साथ मिली होकर उक्त भूमि में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रार्थीगण द्वारा फसल बोई व काटी गई। उक्त भूमि प्रार्थीगण की कदीमी होकर आधिपत्य पूर्व में प्रार्थीगण के पिता तत्पश्चात् प्रार्थीगण का निर्बाध निरन्तर विपक्षीगण के ज्ञान से [illegible] रहा है उक्त भूमि के सम्बन्ध में लगान, पेनल्टी भी प्रार्थीगण के पिता तत्पश्चात् प्रार्थी[illegible] द्वारा बराबर जमा कराई जाती रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का पुराना आधिपत्य होने से उक्त भूमि खसरा परिवर्तीत निर्धारण में भी प्रार्थीगण के आधिपत्य में दर्ज हैं। यानि उक्त भूमि एकमात्र प्रार्थीगण के आधिपत्य की होकर प्रार्थीगण निर्बाध निरन्तर काश्त करते चले आ रहे हैं। विपक्षीगण का उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं हैं।

3. यह कि विपक्षीगण के यह ज्ञान में है कि उक्त भूमि प्रारम्भ से ही प्रार्थीगण के आधिपत्य की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से काश्त करते चले आ रहे है उनका उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी विपक्षीगण संख्या 3 द्वारा अपने मातहत कर्मचारियों को उक्त भूमि पर भेजा व प्रार्थीगण जो उक्त भूमि पर काश्त कर रहे थे को उक्त भूमि खाली करने की धमकी दी। प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि उक्त भूमि हमारी मौरूसी भूमि है जिस पर हम अपने बाप दादाओं के समय से काश्त करते चले आ रहे है फिर भी विपक्षीगण के कर्मचारी नहीं माने व प्रार्थीगण को भूमि खाली करने व नहीं खाली करने पर जबरन बेदखल करने की धमकी दी। जिससे प्रार्थीगण भारी भयभीत हो गए। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर आधिपत्य विगत 50 वर्षों से भी अधिक समय से निर्बाध निरन्तर विपक्षीगण के जमाने से चला आ रहा है जिससे कानून मियाद अधिनियम की धारा 27 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (4) के अनुसार भी प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार होकर उक्त भूमि खाते कराये जाने के अधिकारी है जिससे उक्त भूमि को प्रार्थीगण के खातेदारी की घोषित फरमाया जाना आवश्यक हैं।

4. यह कि विपक्षीगण शक्तिशाली है जो न्याय व कानून की अवहेलना कर प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने पर आमादा है विपक्षीगण को ऐसा किये जाने का कोई कानूनी अधिकारी नहीं जिससे विपक्षीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना आवश्यक है कि वो प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है विपक्षीगण को ऐसा किये जाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिससे विपक्षीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना आवश्यक है कि वो प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि की जा रही हवाई, बुवाई, निदांई में किसी प्रकार की विघ्न या बाधा उत्पन्न नहीं करें। उक्त कार्य न तो स्वयं करे न अपने मातहत कर्मचारियों से करावें। यदि उपरोक्त आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो विपक्षीगण को मौके से बेदखल कर देगे जिससे ऐसी भारी मानसिक व आर्थिक क्षति प्रार्थीगण को हो जाएगी जिसका एवजाना रूपयों में आंका जाना सम्भव नहीं रहेगा।

5. यह कि प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है प्रार्थी उक्त भूमि पर विधिवत आधिपत्यधारी होकर अपने बाप दादा के समय से काश्त करते चले आ रहे है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा भारी मेहनत मजदूरी कर भारी लागत लगा उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया है इसके विपरित विपक्षीगण का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण को मौके से बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को भारी मानसिक व आर्थिक क्षति हो जाएगी व वाद पेश किये जाने का मकसद समाप्त हो जाएगा जहां तक सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति का प्रश्न है प्रार्थीगण को होने वाली है प्रार्थीगण ने लाखों रूपयो की लागत लगा भूमि को काश्त योग्य बनाया है व बराबर काश्त करते चले आ रहे है जबकि विपक्षीगण का कोई सम्बन्ध उक्त भूमि से कभी नहीं रहा है यदि प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया जाता है तो उन्हे विपक्षीगण के मुकाबले भारी अपूरणीय क्षति हो जाएगी जिसका एवजाना रूपयो में आंका जाना कतई सम्भव नहीं रहेगा ऐसी स्थिति में न्याय हेतु उपरोक्त आवश्यक की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाया जाना आवश्यक हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमाई जावे कि विपक्षी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रवेश नहीं करे। प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे व प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर की जा रही कृषि की हवाई, बुवाई, निदांई में विघ्न या बाधा उत्पन्न नहीं करें। उक्त कार्य न तो स्वयं करे न अन्य से करावें।

6. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 3 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन और अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में नहीं है इस कारण प्रार्थना पत्र निश्चित रूप से खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थीगण के गांव मेडता तहसील मावली के निवासी होने के संबंध में प्रतिप्रार्थी संख्या 3 को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है उक्त तथ्य की जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। जहां तक आराजी संख्या 3662/1692 के संबंध में प्रार्थीगण के द्वारा कथन किया गया है कि उक्त वर्णित आराजी की कृषि भूमि मौजा बजाजनगर, नाहरमगरा तहसील मावली में स्थित होकर प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है उक्त कथन मिथ्या बनावटी एवं बेबुनियाद होने से उक्त कथन का खण्डन करते हुए नगर विकास प्रन्यास की ओर से वर्णित रूप में अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण अपने कथन को दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्व करावें। उक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकार्ड में नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज हो नगर विकास प्रन्यास के स्वामित्व एवं आधिपत्य में चली आ रही हैं। प्रतिप्रार्थी संख्या 3 के कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा नगर विकास प्रन्यास के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि पर जाकर उसकी सुरक्षा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:45 IST
Reason: SelfAttested

दायित्व निभाना उनके विभागीय कर्तव्यों एवं दायित्वों में आता है। नगर विकास प्रन्यास के कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि पर जाकर केवल मात्र उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है किसी भी कर्मचारी एवं अधिकारी के द्वारा वादीगण को किसी भी प्रकार की कोई धमकी आदि नहीं दी गई हैं।

7. यह कि प्रतिप्रार्थीगण एक निकाय है जो विधिक परिधि में रहते हुए अपने विभागीय दायित्वों का निर्वह्न किए जाने के लिए दायित्वाधीन हैं। प्रतिप्रार्थी संख्या 3 के अधिकारी एवं कर्मचारी नियमों एवं विधि अनुरूप दायित्व निर्वह्न किये जाने के लिए तत्पर रहते है अधिकारी एवं कर्मचारी के द्वारा कभी भी भारतीय कानून एवं विधि के विपरित कोई कार्य नहीं किया जाता है। इस कारण प्रतिप्रार्थी संख्या 3 को किसी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्याय सिद्वान्तो के विरूद्व होगा। प्रार्थीगण के द्वारा नगर विकास प्रन्यास के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज आराजी संख्या 3662/1692 पर अतिक्रमण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को ना तो अपूरणीय क्षति ना ही सुविधा संतुलन और ना ही प्रथम दृष्टया मामला के बिन्दू किसी प्रकार का कोई सम्बल प्रदान करते है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार का कोई अनुतोष पारित किया जाना न्याय सिद्वान्तो के विपरित होगा। नगर विकास प्रन्यास के विरूद्व किसी प्रकार की कोई दाद चाहे जाने के लिए न्यायालय में प्रार्थना दायर किए जाने से पूर्व धारा 98 के तहत सूचना दिया जाना आवश्यक है इस कारण सूचना पत्र के अभाव में प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज होने योग्य हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज फरमाये जाने का आदेश फरमाया जावे एवं प्रतिप्रार्थी को बिना किसी औचित्यपूर्ण बिन्दू के व्यर्थ मानसिक एवं आर्थिक आघात देने तथा प्रन्यास के दायित्व के तहत् किये जा रहे कार्य पर आपत्ति उठा कर आरोप लगाए जाने के लिए क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान करवाई जावें।

8. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:—

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:45 IST
Reason: SelfAttested

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 3 के नाम दर्ज है। प्रकरण में प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में एडवर्स पजेशन के आधार पर घोषणा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। चूंकि वादग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 3 के नाम दर्ज होकर बिलानाम है। वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 3 के नाम दर्ज होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।
2. *सुविधा का संतुलन* – चूंकि वाद वर्णित भूमि विपक्षी संख्या 3 के नाम दर्ज होकर बिलानाम भूमि हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित हुआ हैं। ऐसी स्थिति में यदि विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध में निर्णित किया जाता है।
3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि वाद वर्णित भूमि विपक्षी संख्या 3 के नाम बिलानाम रूप में दर्ज हैं। विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

10. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। वाद वर्णित भूमि मौजा बजाजनगर पटवार हल्का नाहरमगरा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 की खाता संख्या 1 पर दर्ज आराजी नम्बर 3662/1692 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 3 के नाम दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा विगत 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा होना बताकर एडवर्स पजेशन के आधार पर घोषणा का वाद प्रस्तुत कर उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थीगण वर्तमान में उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा एडवर्स पजेशन के आधार पर घोषणा चाही गई हैं।

वर्तमान में विपक्षी संख्या 3 खातेदार होने से खातेदार को अपनी भूमि के उपयोग–उपभोग का पुरा अधिकार था। प्रकरण में खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी तथा खातेदार को असुविधा का सामना करना पडेगा। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:45 IST
Reason: SelfAttested

एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये गये है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:45 IST
Reason: SelfAttested